भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3710
11/08/2026 को उत्तर के लिए

अंतर्देशीय मत्स्यपालन निर्यात को बढ़ावा

3710. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने और देश के कुल मत्स्य निर्यात में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए कोई पहल की है या किसी नीतिगत ढांचे को तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मछली पालकों के लिए मछली पकड़ने के उपरांत रख-रखाव, कोल्ड चेन अवसंरचना, प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रमाणन, लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच सहित अंतर्देशीय मत्स्यपालन निर्यात मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन केंद्रों से प्रसंस्करण और निर्यात केंद्रों तक उच्च मूल्य वाले मत्स्य उत्पादों की आवाजाही में सुधार के लिए ड्रोन-आधारित परिवहन और अन्य प्रौद्योगिकी-सक्षम डिलीवरी प्रणालियों सहित उभरती प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषी लॉजिस्टिक्स समाधानों के उपयोग का परीक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात बाजारों में अंतर्देशीय मछली पालकों, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ), सहकारी समितियों की अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): अंतर्देशीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सतत समुद्री खाद्य निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मत्स्यपालन विभाग ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के परामर्श से भारत की समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य श्रृंखला में अंतर्देशीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु एक मसौदा मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया है। यह मार्गदर्शन दस्तावेज गुणवत्ता आश्वासन, पता लगाने की क्षमता, संस्थागत

समन्वय, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, बाजार तक पहुँच तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर निर्यात तत्परता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्पष्ट कार्य-रोडमैप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग MPEDA और NFDB के सहयोग से, निर्यात-उन्मुख अंतर्देशीय जलकृषि को बढ़ावा देने और समुद्री खाद्य निर्यात में अंतर्देशीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण और क्षमता-निर्माण पहल कर रहा है।

(ख) सरकार ने अंतर्देशीय मात्स्यिकी निर्यात मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के हेतु कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड चेन के विकास, मत्स्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग को प्राथमिकता दी गई है। मत्स्यपालन विभाग ने देश भर में कोल्ड चेन और विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹2,797 करोड़ के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में 775 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, 28,489 मत्स्य परिवहन इकाइयाँ, 1,394 जीवित मत्स्य विक्रय इकाइयाँ, 6,018 फिश कियोस्क, 117 खुदरा मत्स्य बाज़ार और 24 थोक मछली बाज़ार शामिल हैं, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, कोल्ड चेन, परिवहन और बाज़ार संपर्क में सुधार होगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रमाणन तथा अनुपालन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) द्वारा समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए निरीक्षण, प्रमाणन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, MPEDA द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठकें (BSMs), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (RBSMs), अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य व्यापार मेलों में सहभागिता तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय के माध्यम से बाजार तक पहुँच को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार उत्पादन केंद्रों से प्रसंस्करण और निर्यात केंद्रों तक उच्च मूल्य वाली मछलियों और मत्स्य उत्पादों के परिवहन को बेहतर बनाने के लिए उभरती हुई तकनीकों और नवीन लॉजिस्टिक्स समाधानों को अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ICAR-केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIFRI), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के सहयोग से, कम दूरी पर जीवित मछलियों के परिवहन के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु एक पायलट परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस पायलट परियोजना को ₹116.85 लाख की कुल लागत से अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी ड्रोन प्रणाली का विकास एवं मूल्यांकन करना है, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक 100 किलोग्राम तक जीवित मछलियों का परिवहन करने में सक्षम हो, साथ ही परिवहन के दौरान मछलियों के स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पारंपरिक परिवहन विधियों की तुलना में परिवहन समय को कम कर सके। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, ICAR-CIFRI ने 7 किलोमीटर की दूरी पर 70 किलोग्राम पेलोड के परिवहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जो परियोजना के उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इस परियोजना में जीवित मछलियों के ड्रोन द्वारा परिवहन के दौरान उनके व्यवहार एवं तनाव पर वैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता, घुलित ऑक्सीजन तथा तापमान का विनियमन करने हेतु विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंटेनरों के माध्यम से जीवित मछलियों का सुरक्षित एवं दक्षतापूर्ण परिवहन सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने मात्स्यिकी क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

(घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से मत्स्य पालकों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य कर्मियों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मत्स्य

सहकारी समितियों तथा मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के सदस्यों के लिए मत्स्यन प्रौद्योगिकी, जलकृषि एवं हार्वेस्ट-उपरांत प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम तथा अध्ययन भ्रमण आयोजित किए जाते हैं, जिससे इन हितधारकों की निर्यात बाजारों में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एक डिजिटल बाजार मंच उपलब्ध कराना तथा पारंपरिक मत्स्य पालकों, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) एवं मत्स्य क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी हितधारकों को ई-बाजार (ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से अपने उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य एवं अधिक लाभप्रदता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, PMMSY ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) को कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में शामिल करते हुए, 544.85 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2195 मात्स्यिकी सहकारी समितियों को 'मत्स्य पालक उत्पादक संगठनों' (FFPOs) के रूप में सहायता प्रदान की है।

(ङ) भारत सरकार, वाणिज्य विभाग के माध्यम से, मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) तथा अन्य द्विपक्षीय व्यापारिक सहभागिताओं का उपयोग करते हुए अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादों सहित भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मत्स्यपालन विभाग, वाणिज्य विभाग, MPEDA और EIC के साथ समन्वय करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों (BSMs), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (RBSMs) और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के माध्यम से आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन, बाजार विविधीकरण और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देता है।
